कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण
(वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय, भारत सरकार)

तीसरी मंजिल, एन.सी.यू.आई. बिल्डिंग, 3 सीरी सांस्थानिक क्षेत्र, अगस्त क्रांति मार्ग,
नई दिल्ली – 110016

एपीडा द्वारा 3 (तीन) वर्ष की अवधि के लिए जिसे आगे 2 वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है , एपीडा में वित्तीय सलाहकार इकाई (एफएयू) की स्थापना हेतु पेशेवर श्रमशक्ति प्रदान करने के लिए कम से कम 10 वर्षों के लिए आईसीएआई के साथ पंजीकृत और दिल्ली में मौजूद योग्य सनदी लेखाकार (सीए) / लागत प्रबंधन लेखाकार (सीएमए) फर्मों से आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं।

मुहरबंद लिफाफे में आवेदन इस विज्ञापन के प्रकाशन के 21 दिनों के भीतर शाम 5 बजे तक उपरोक्त पते पर निदेशक, एपीडा के कार्यालय में पहुंच जाना चाहिए। पात्रता मानदंड , कार्य-क्षेत्र और अन्य विवरण एपीडा की वेबसाइट: www.apeda.gov.in पर आइकन- घोषणाएँ के अंतर्गत उपलब्ध हैं।

(क) कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण (एपीडा)

कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण (एपीडा) , भारत सरकार के वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के तहत एक शीर्ष संगठन है , जिसे अपने अनुसूचित उत्पादों के निर्यात के संवर्धन एवं विकास की जिम्मेदारी सौंपी गई है।

जैसा कि टीओआर के विस्तृत कार्य-क्षेत्र भाग में बताया गया है, वित्तीय सलाहकार इकाई (एफएयू) समग्र वित्तीय योजना/ बजट अभ्यास , वित्तीय सहायता योजना (एफएएस) से संबंधित आवेदनों की संवीक्षा, वार्षिक लेखापरीक्षा प्रक्रिया में सहायता, एसओपी तैयार करना, जब भी आवश्यक हो, आदि में एपीडा की सहायता करेगी।

आवेदन 3 (तीन) वर्ष की अवधि हेतु , जिसे समान नियमों और शर्तों पर 2 वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है, के लिए वित्तीय सलाहकार इकाई (एफएयू) की नियुक्ति हेतु कम से कम 10 वर्षों के लिए भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान (आईसीएआई) के साथ पंजीकृत और दिल्ली में उनकी मौजूदगी के साथ योग्य सनदी लेखाकार (सीए) / लागत प्रबंधन लेखाकार (सीएमए) फर्मों से आमंत्रित किए जाते हैं।

(ख) आमंत्रण पत्र

एपीडा, भारत सरकार में वित्तीय सलाहकार इकाई की स्थापना हेतु पेशेवर श्रमशक्ति प्रदान करने के लिए अभिरुचि की अभिव्यक्ति (आरईओआई) हेतु अनुरोध, दिनांक **14.09.2023** को एपीडा की आधिकारिक वेबसाइट पर अपलोड किया गया है। प्रस्ताव जमा करने की अंतिम तिथि **04.10.2023** है।

इसके अतिरिक्त सूचित किया जाता है कि उक्त कार्य क्षेत्र के लिए प्राप्त तकनीकी प्रस्ताव विधिवत गठित मूल्यांकन सह चयन समिति की उपस्थिति में खोला जाएगा।

बोलीदाता का चयन संयुक्त गुणवत्ता सह लागत आधारित चयन पद्धति (क्यूसीबीएस) के तहत 60:40 (तकनीकी प्रस्ताव के लिए 60% और वित्तीय प्रस्ताव के लिए 40%) के वेटेज के साथ और इस आरएफपी में वर्णित प्रक्रियाओं के अनुसार किया जाएगा। तकनीकी बोली में न्यूनतम योग्यता अंक 60 में से 42 होंगे।

एपीडा के पास बोली प्राप्त होने की अंतिम तिथि और समय से पहले योग्यता प्रक्रिया सहित इस दस्तावेज़ में जानकारी को अद्यतन, संशोधित और पूरक करने का अधिकार सुरक्षित है। बोलीदाताओं

से अनुरोध है कि वे निविदा दस्तावेज़ , शुद्धिपत्र, अपडेट या वेबसाइट https://apeda.gov.in/apedawebsite/miscellaneous/Tender से उक्त निविदा से संबंधित किसी भी जानकारी के लिए एपीडा वेबसाइट पर जाएं।

असाइनमेंट के लिए आईसीएआई द्वारा निर्धारित व्यावसायिक शुल्क , कार्य-क्षेत्र और टीम के सदस्यों की संरचना की गुणवत्ता जैसे विभिन्न कारकों को ध्यान में रखते हुए , कार्य के लिए अनुमानित लागत की आधार लागत 1,25,000/- रुपये प्रति माह (जीएसटी को छोड़कर) मूल्यांकित की गई है। यह भी वर्णित किया गया है कि अनुमानित आधार लागत (जीएसटी को छोड़कर 1,25,000/- रुपये) से कम इंगित करने वाली बोलियां/आवेदन सीधे अस्वीकार कर दिए जाएंगे।

(ग) योग्यता-पूर्व मानदंड

(पात्रता मानदंड 14/09/2023 की कटऑफ तिथि के आधार पर निर्धारित किया जाएगा)

तकनीकी और वित्तीय मूल्यांकन हेतु बोलीदाताओं को शॉर्टलिस्ट करने के लिए एक पूर्व-योग्यता मानदंड लागू किया जाएगा और बुनियादी नियमों और शर्तों को पूरा करने वाली कंपनियों को ही तकनीकी मूल्यांकन के लिए शॉर्टलिस्ट किया जाएगा।

1. <u>मूल्भूत नियम एवं शर्तें</u>

i) आवेदक फर्म का कार्यालय दिल्ली में होना चाहिए।

ii) न तो फर्म और न ही उसके साझेदारों या उससे संबंधित संस्थाओं को दिवालिया घोषित किया गया हो या दिवालिया कार्यवाही का सामना करना पड़ रहा हो।

iii) चार्टर्ड अकाउंटेंट्स अधिनियम, 1949 की पहली या दूसरी अनुसूची के तहत भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान (आईसीएआई) द्वारा फर्म के किसी भी साझेदार/कर्मचारी को पेशेवर/अन्य कदाचार का दोषी नहीं पाया गया हो या वह व्यक्ति जिसके विरुद्ध सार्वजनिक कंपनी लेखा निरीक्षण बोर्ड या एनएफआरए द्वारा अनुशासनात्मक मंजूरी आदेश पारित किया गया हो।

iv) ईओआई खोलने की तिथि पर फर्म को किसी भी मंत्रालय/विभाग/संगठन/सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम द्वारा निलंबित/वर्जित/ब्लैक लिस्ट में नहीं डाला जाना चाहिए।

v) फर्म के विरुद्ध कोई भी निर्विवाद सांविधिक मांग लंबित नहीं होनी चाहिए।

vi) फर्म को कार्य-निष्पादन जमा के रूप में 1,00,000/- रुपये (एक लाख रुपये मात्र) का कार्य-निष्पादन बैंक गारंटी (पीबीजी)/मांग ड्राफ्ट/भुगतान आदेश/बैंक अंतरण जमा करना अपेक्षित है। सफल फर्म की पीबीजी/ईएमडी को कार्य-निष्पादन गारंटी में परिवर्तित किया जाएगा और अनुबंध अवधि के लिए एपीडा के पास रखा जाएगा।

vii) फर्म का कार्यकाल कम से कम 10 वर्षों का होना चाहिए। समर्थन में अपेक्षित दस्तावेज़ फर्म की प्रोफ़ाइल के साथ संलग्न किया जाएगा।

viii) फर्म के भारत में कम से कम 5 कार्यकारी साझेदार होने चाहिए, जिनमें से कम से कम 3 साझेदार एफसीए हो।

ix) आवेदक फर्म के पास आरबीआई द्वारा आवंटित सांविधिक लेखापरीक्षा का अनुभव होना चाहिए ।

x) फर्म के पास कम से कम 3 सरकारी संगठनों/पीएसयू में कार्य करने का कम से कम 3 वर्ष का अनुभव होना चाहिए ।

xi) आवेदक फर्म भारत के सीएजी के साथ पैनल में शामिल होना चाहिए और पिछले 3 वर्षों (2020-23 के दौरान) में न्यूनतम 1 (एक) सीएजी लेखापरीक्षा असाइनमेंट आयोजित होना चाहिए।

xii) वित्त वर्ष 2022-23 (जीएसटी रिटर्न के आधार पर) सहित पिछले तीन वर्षों के दौरान फर्म का न्यूनतम वार्षिक औसत टर्नओवर 50 लाख रुपये (पचास लाख रुपये मात्र) होना चाहिए।

xiii) फर्म उसके दिल्ली कार्यालय के लिए वस्तु एवं सेवा कर विभाग के साथ पंजीकृत होना चाहिए।

xiv) चयनित फर्म , जिसे यहां **द्वितीय पक्ष** के रूप में संदर्भित किया गया है , को एपीडा कार्यालय: तीसरी मंजिल, एनसीयूआई बिल्डिंग, 3 सीरी सांस्थानिक क्षेत्र, अगस्त क्रांति मार्ग, नई दिल्ली - 110016 में **2 लेखापरीक्षक सहायकों** (सीए इंटर योग्यता) के साथ-साथ कम से कम 5 वर्षों के योग्यता अनुभव के बाद **एक** सनदी लेखाकार को दैनिक आधार पर तैनात किए जाने हेतु एफएयू की स्थापना करने और 2 (iii) में निर्धारित कार्यों को पूरा करने के लिए सुबह 9:30 बजे से शाम 5:30 बजे तक (कार्यालय समय के अनुसार) पूर्णकालिक आधार पर काम करेंगे। फर्म द्वारा सौंपे गए कार्मिक निर्धारित समय सीमा

के भीतर सौंपे गए कार्य का त्वरित निपटान सुनिश्चित करेंगे। हालाँकि , अत्यावश्यक परिस्थितियों में, कंपनी बिना किसी अतिरिक्त वित्तीय प्रोत्साहन के बैकलॉग को पूरा करने के लिए अवकाश में भी कार्य कर सकती है। फर्म को सौंपे गए कर्मियों की उपस्थिति एपीडा में बनाए रखी जाएगी और आवश्यक संख्या में अधिकारियों की अनुपस्थिति के मामले में आनुपातिक शुल्क काटा जाएगा।

xv) सफल बोलीदाताओं की वित्तीय बोली के मूल्यांकन के समय न्यूनतम मासिक पारिश्रमिक से कम को इंगित करने वाले आवेदन को पूरी तरह से खारिज कर दिया जाएगा।

2. <u>अन्य नियम एवं शर्तें</u>

i) एपीडा टीम के सुचारू और प्रभावी कामकाज के लिए कार्यस्थल , कार्य स्टेशन, प्रिंटर और प्रिंटिंग/स्टेशनरी वस्तुओं सहित उचित बुनियादी ढांचा प्रदान करेगा , लेकिन यह इन्हीं तक सीमित नहीं होगा।

ii) एपीडा फर्म से अतिरिक्त सदस्य की मांग कर सकता है और ऐसे अतिरिक्त कार्यबल के लिए आनुपातिक पारिश्रमिक का भुगतान किया जाएगा।

iii) फर्म मासिक आधार पर महीने के अंत से 10वें दिन या उससे पहले बिल जारी करेगी और ऐसे बिल का भुगतान अगले 10 दिनों के भीतर किया जाएगा।

iv) यह असाइनमेंट कहीं भी एपीडा और फर्म की टीम के सदस्यों के साथ नियोक्ता/कर्मचारी का कोई संबंध नहीं बनाएगा।

v) एपीडा टीम के सदस्यों के ईएसआई/पीएफ या अन्य सांविधिक बकाया (यदि लागू हो) का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी नहीं होगा और यह दायित्व केवल फर्म और उसके साझेदारों पर होगा।

vi) एपीडा टीम के किसी भी सदस्य के प्रतिस्थापन की मांग कर सकता है और फर्म ऐसे निर्देश/अनुरोध का पालन करने के लिए बाध्य होगी।

vii) एपीडा आयकर अधिनियम के साथ-साथ वस्तु एवं सेवा कर अधिनियम के प्रावधानों के तहत स्रोत पर कर की कटौती करेगा।

(ड.) मूल्यांकन मानदंड

चयन दो चरण प्रक्रिया **(तकनीकी और वित्तीय)** पर आधारित होगा।

i) पात्रता मानदंड के अनुसार पात्र पाई गई फर्मों का मूल्यांकन मूल्यांकन मानदंड के आधार पर किया जाएगा। अगले चरण के लिए अर्हता प्राप्त करने के लिए फर्म को तकनीकी मूल्यांकन चरण में **कुल 60 अंकों में से न्यूनतम 42 अंक** प्राप्त करने होंगे।

ii) तकनीकी रूप से अर्हता प्राप्त फर्मों में से शीर्ष 5 फर्मों को वित्तीय बोलियां प्रस्तुत करने और खोलने के लिए बुलाया जा सकता है।

iii) सफल/योग्य आवेदक फर्म को ईमेल के साथ-साथ पंजीकृत डाक के माध्यम से सूचित किया जाएगा।

(च) अंतिम मूल्यांकन प्रक्रिया

1. <u>तकनीकी मूल्यांकन</u>

सभी अनुभव गणना के लिए तकनीकी बोली मूल्यांकन हेतु मानदंड , कटऑफ तिथि 14.09.2023 होगी।

क्र.सं.	पैरामीटर	स्कोर	अधिकतम अंक
1	फर्म का अनुभव/कार्यकाल-वर्षों की सं.		**15**
	• 10 वर्ष से कम	अनहे	
	• 10-15 वर्ष	10	
	• 15 वर्ष से अधिक	15	
2	फर्म के साथ साथी सनदी लेखाकार (एफसीए) की सं.		**10**
	• 3 से कम	अनहे	
	• 3 से 5	6	

	• 5 से अधिक	10	
3	**फर्म का अनुभव**		**20**
	क) <u>सीएजी लेखापरीक्षा</u>	अनर्ह	10
	• शून्य		
	• 1-3 वर्ष	6	
	• 3 वर्ष से अधिक अनुभव के प्रत्येक वर्ष के लिए 2 अंक, अधिकतम 4 अंक	4	
	ख) सरकारी/अर्धसरकारी/स्वायत्त निकायों/राज्य सोसायटी/पीएसयू में वित्तीय परामर्श सेवाओं, आंतरिक लेखा परीक्षकों, एसओपी/लेखापरीक्षाऔर लेखा मैनुअल आदि के क्षेत्र में अनुभव		10
	• 3 असाइनमेंट से कम	अनर्ह	
	• 3- 5 असाइनमेंट	5	
	• 5+ असाइनमेंट, कुल मिलाकर अधिकतम 10 अंक के प्रत्येक असाइनमेंट के लिए 2 अंक।	10	
4	फर्म का टर्नओवर (पिछले 3 वर्षों का वार्षिक औसत)		**15**
	50 लाख से कम टर्नओवर	अनर्ह	
	50 लाख से 70 लाख के बीच टर्नओवर	10	
	70 लाख से अधिक का वृद्धिशील टर्नओवर, प्रत्येक 10 लाख के लिए 1 अंक, अधिकतम अंक 5	5	
	अधिकतम अक		**60**

2. वित्तीय बोलियों खोलना

अंकन तकनीकी मानदंड पर किया जाएगा। जो वेंडर तकनीकी बोलियों में न्यूनतम 70% अंक (70 में से 49 अंक) सुरक्षित करते हैं , उन्हें सूचीबद्ध किया जाएगा और उसके बाद ही उनकी वित्तीय बोलियाँ खोली जाएंगी। वित्तीय बोली में अधिकतम 40 अंक होंगे।

अंकन की गणना के लिए निम्न विधि होगी:

L1 = 40 अंक

L2 = 40XL1 (L1 द्वारा उद्धृत मूल्य) / L2 (L2 द्वारा उद्धृत लागत) और L3, L4 आदि के लिए इसी तरह से (पार्टियों की संख्या पर निर्भर करता है)।

वित्तीय अंकों को प्राप्त करने के बाद तकनीकी और वित्तीय अंक जोड़े जाएंगे और उच्चतम कुल अंकों की स्कोरिंग करने वाले बोलीदाता को चयनित किया जाएगा।

चयन समिति के पास अनुबंध / आदेश देने से पहले किसी भी समय , किसी भी कारण को बताए बिना और एपीडा पर किसी भी देयता के दायित्व के बिना बोली को वापस लेने, स्वीकार करने या अस्वीकार करने का अधिकार सुरक्षित है। एपीडा के पास कीमतों में कमी लाने या अधिक सुविधाएं जोड़ने के लिए चयनित बोलीदाताओं के साथ कीमतों पर बातचीत करने का अधिकार भी है।

(च) अंतिम अनुबंध सौंपना

दो चरणों के कुल अंकों को जोड़ा जाएगा और अधिकतम अंक प्राप्त करने वाली फर्म को H -1 घोषित किया जाएगा और वह अनुबंध प्राप्त करने हेतु पात्र होगी।

(छ) कार्यक्षेत्र- किए जाने वाले कार्य:-

(i) उद्देश:-

सभी प्रक्रियाओं को सुव्यवस्थित करने और वित्तीय एवं कराधान मामलों पर सलाह देकर बजट और वित्त को मजबूत करने हेतु वित्तीय सलाहकार इकाई (एफएयू) स्थापित करने के लिए एपीडा, जिसे यहां **प्रथम पक्ष** के रूप में संदर्भित किया गया है, की सहायता करना।

(ii) एफएयू द्वारा किए जाने वाले कार्य:-

निम्न में सहायता एवं मार्गदर्शन प्रदान करना

1. निम्न से संबंधित दस्तावेज़/मैनुअल/एसओपी तैयार करना:

क) एपीडा के लिए लेखा एवं प्रशासन

ख) आंतरिक नियंत्रण प्रणाली

ग) आंतरिक लेखापरीक्षा प्रक्रिया प्रणाली

2. प्राधिकरण के लिए समग्र वित्तीय योजना/बजट बनाने की प्रक्रिया में सहायता करना और यह जांचना कि प्रस्ताव बजट के भीतर हैं।

3. प्राधिकरण के लिए राजस्व बढ़ाने के तरीकों और साधनों की जांच/तैयार करना और सुझाव देना।

4. मेलों में भागीदारी (मानदंड निर्धारित करना), दूतावासों को नमूने भेजना (उक्त के लिए मानदंड निर्धारित करना) आदि जैसी विभिन्न प्रक्रियाओं/गतिविधियों के लिए एसओपी तैयार करने में सहायता करना।

5. वार्षिक आधार पर एपीडा की अचल संपत्तियों के आंतरिक लेखा परीक्षा सहित एपीडा की अचल संपत्तियों के नियंत्रण के लिए प्रणाली तैयार करने में सहायता करना।

6. आवश्यकता पड़ने पर वित्तीय दृष्टिकोण से अनुबंधों का विश्लेषण और पुनरीक्षण।

7. एपीडा की वित्तीय सहायता योजना के तहत निर्यातकों के वित्तीय सहायता दावों के मामलों की जांच करना और योजना दिशानिर्देशों के अनुसार भुगतान करने की अनुशंसा करना।

8. एपीडा के गैर योजना प्रस्तावों की जांच करना और उन पर वित्तीय सहमति प्रदान करना।

9. एपीडा और उसके कर्मचारियों के कर निहितार्थों को निर्धारित करने में सहायता , जिसमें पिछले वर्षों के लिए विभिन्न प्राधिकरणों द्वारा उठाए गए स्पष्टीकरण/मांगों पर सुझाव और आवश्यकता पड़ने पर उनके निपटान में सहायता करना शामिल है।

10. प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष कर संबंधी मामलों पर सलाह देना और सभी प्रकार के सांविधिक कर रिटर्न समय पर दाखिल करना सुनिश्चित करना।

11. बैंक खातों और संबंधित वित्तीय विवरणों के रिकॉन्सिलेशन की जाँच करना।

12. आवश्यकता पड़ने पर वित्तीय विवरणों का विश्लेषण।

13. आवश्यकता पड़ने पर लेखांकन और वित्तीय मामलों और नीतियों पर सलाह देना।

14. आवश्यकता पड़ने पर वित्तीय मामलों में स्थापित नीतियों , योजनाओं और प्रक्रियाओं के अनुपालन की सीमा का पता लगाना और रिपोर्ट करना।

15. आवश्यकता पड़ने पर वित्तीय पहलुओं में परिचालन सुधार की अनुशंसा करना।

16. अपने प्रधान कार्यालय और क्षेत्रीय कार्यालयों के एपीडा के वाउचरों की जांच सहित वित्तीय विवरणों का निरीक्षण, रिकॉन्सिलेशन, समीक्षा और मूल्यांकन करना। यदि किसी बाहरी यात्रा की आवश्यकता होती है, तो उसके लिए समय-समय पर संशोधित टीए/डीए नियमों के अनुसार शुल्क का भुगतान किया जाएगा।

17. एपीडा की वित्तीय सहायता योजनाओं के तहत तैयार किए गए अनिवार्य प्रोफार्मा के अनुसार वित्तीय सहायता के लिए प्रमाण पत्र के संबंध में अनुपालन सुनिश्चित करना।

18. C&AG के आधे मार्जिन और पैरा को टाइम बांड तरीके से हैंडल और ड्रॉप करने में एपीडा की सहायता करना। साथ ही सीएजी , डीओसी आदि द्वारा किए गए लेखा परीक्षा के संचालन में सहायता करना।

19. एपीडा द्वारा सौंपे गए वित्तीय मामलों से संबंधित फर्म के परामर्श से कोई अन्य कार्य।

उपरोक्त मामलों में **प्रथम पक्ष** का निर्णय एवं विचार अंतिम माने जायेंगे।

(iii) एपीडा से समर्थन:-

एक अधिकारी को एपीडा के प्रतिनिधि के रूप में नियुक्त करना , जो एपीडा और वित्तीय सलाहकार इकाई (एफएयू) के बीच समन्वयक के रूप में कार्य करेगा।

द्वितीय पक्ष (वित्तीय सलाहकार इकाई) को उनके व्यावसायिक कौशल आदि को ध्यान में रखते हुए विभिन्न कार्यों/विशिष्ट कार्य जिम्मेदारियों का आवंटन, **प्रथम पक्ष** के विवेक पर निर्भर करेगा।

इसके अतिरिक्त, दोनों पक्षों में से कोई भी एक (1) महीने का नोटिस देकर या उसके बदले परामर्श शुल्क के बराबर राशि का भुगतान करके अनुबंध समाप्त कर सकता है।

(ज) तकनीकी एवं वित्तीय बोलियाँ प्रस्तुत करने के लिए दिशानिर्देश

फर्म के लेटर हेड पर अलग-अलग मुहरबंद लिफाफे में मुहरबंद तकनीकी और वित्तीय बोलियां इस विज्ञापन के जारी होने की तारीख से 21 दिनों के भीतर जमा की जानी आवश्यक हैं। यह ध्यान दिया जाए कि सशर्त बोलियों की अनुमति नहीं है और इन्हें पूरी तरह से अस्वीकार कर दिया जाएगा।

कवर 1: तकनीकी बोली: फर्म के लेटरहेड पर निम्नलिखित जानकारी/दस्तावेजों को शामिल करने के लिए "वित्तीय सलाहकार इकाई के रूप में नियुक्ति हेतु तकनीकी बोली" के रूप में लिखें।

i) अनुभव के समर्थन में सहायक दस्तावेजों के साथ पिछले अनुभव सहित फर्म का संक्षिप्त प्रोफ़ाइल।

ii) बोली लगाने हेतु पात्र बनाने के लिए फर्म द्वारा बुनियादी नियमों और शर्तों के अनुपालन की विधिवत हस्ताक्षरित और सत्यापित प्रति।

iii) फर्म द्वारा तकनीकी मानदंडों की विधिवत हस्ताक्षरित और सत्यापित स्व-मूल्यांकन शीट और उसके समर्थन में सहायक दस्तावेज।

iv) आईसीएआई द्वारा जारी फर्म संविधान प्रमाण पत्र की स्वप्रमाणित प्रति के साथ स्थापना की तारीख।

v) सदस्यता सं., स्थिति एफसीए/एसीए और फर्म के साथ उनके संपर्क सहित फर्म के भागीदारों का विवरण। (संविधान प्रमाणपत्र से मिलान करने हेतु)

vi) पिछले तीन वर्षों यानी 2020-21, 21-22 और 2022-23 में से प्रत्येक के लिए फर्म का वार्षिक टर्नओवर । टर्नओवर के समर्थन में एक सीए प्रमाणपत्र प्रदान किया जाए।

vii) फर्म का अंतिम लेखापरीक्षित तुलन पत्र।

viii) फर्म का दिल्ली जीएसटी नं. (स्वयं प्रमाणित प्रति संलग्न करें)।

ix) फर्म की श्रेणी के समर्थन में आरबीआई एम्पैनलमेंट यूनिक कोड सं. और दस्तावेज़।

x) सीएजी पंजीकरण सं. और सीएजी लेखापरीक्षा अनुभव के समर्थन में दस्तावेज़ का प्रमाण।

xi) अनिवार्य नियमों और शर्तों के लिए स्व-प्रमाणित वचन पत्र।

xii) नई दिल्ली में देय "एपीडा" के पक्ष में 1,00,000/- रुपये (एक लाख रुपये मात्र) के लिए कार्य-निष्पादन बैंक गारंटी (पीबीजी)/मांग ड्राफ्ट/भुगतान आदेश/बैंक अंतरण।

xiii) फर्म की पात्रता या तकनीकी मूल्यांकन मानदंड के समर्थन में कोई अन्य जानकारी।

xiv) बोली दस्तावेज़ के प्रत्येक पृष्ठ के साथ-साथ सहायक दस्तावेज़ पर मुहर और एफआरएन सहित नाम और हस्ताक्षर।

xv) फर्म के लेटर हेड पर एक स्व-घोषणा कि बोली के समर्थन में प्रस्तुत की गई सभी जानकारी और दस्तावेज सत्य, सही और प्रामाणिक हैं।

<u>कवर 2</u>: वित्तीय बोली: फर्म के लेटरहेड पर निम्नलिखित प्रारूप में "वित्तीय सलाहकार इकाई के रूप में नियुक्ति हेतु वित्तीय बोली" लिखें:

<u>जीएसटी रहित असाइनमेंट हेतु एकमुश्त मासिक शुल्क</u>

वित्तीय कोटेशन मासिक आधार पर भारतीय रुपए में होगी। सभी लागू करों का भुगतान अलग से किया जाएगा।

उपर्युक्त इंगित कवर 1 और कवर 2 वाले बाहरी मुहरबंद लिफाफे पर "वित्तीय सलाहकार इकाई के रूप में **नियुक्ति तकनीकी और वित्तीय बोली"** लिखा हो और इसमें फर्म का नाम, डाक पता, फैक्स, ई-मेल, टेलीफोन नंबर हो।

(झ) <u>बोली पूर्व बैठक:</u>

एपीडा के कार्य-क्षेत्र को समझने के लिए प्रक्रिया शुरू होने से पूर्व दिनांक 22 सितंबर, 2023 को 1100 बजे एपीडा कार्यालय- एनसीयूआई बिल्डिंग 3, सीरी सांस्थानिक क्षेत्र, अगस्त क्रांति मार्ग, नई दिल्ली - 110 016 में बोली-पूर्व बैठक आयोजित की जाएगी। सभी इच्छुक फर्मों से अनुरोध है कि वे एपीडा को अपने प्रस्ताव प्रस्तुत करने से पूर्व स्पष्टता हेतु इस बैठक में भाग लें। हालाँकि, बोली-पूर्व बैठक में भाग नहीं लेने वाली फर्में अपने तकनीकी और वित्तीय प्रस्ताव जमा करने के लिए पात्र होंगी।

*किसी भी भ्रांति की स्थिति में अंग्रेजी को वरीयता दी जाएगी।